

20/20

कार्यालय कलेक्टर, जिला-हरदा, म.प्र.

क्रमांक / 5374 / नाजरात-2018

तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

हरदा, दिनांक 17/05/2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जिला हरदा में मान. मुख्यमंत्री/मंत्री महोदय म0प्र0 शासन के हरदा आगमन पर प्रोटोकाल के तहत टेक्सी परमिट वाहन उपयोग करने हेतु इच्छुक निविदाकारों से वाहन के प्रकार एवं उपयोग अनुसार दरे निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक निविदाकार 100=00 (एक सौ रुपये मात्र) का निविदा शुल्क बैंक चालान के माध्यम से शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाये 800 अन्य प्राप्तियां में जमा कर, अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में दिनांक 30.05.2018 को सायं 5.00 बजे तक निविदा फार्म एवं शर्तें कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा नाजरात शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म दिनांक 31.05.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा की जावेगी। तथा निविदा दिनांक 31.05.2018 को समय दोपहर 3.00 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा में भाग लेने, निविदा की अन्य शर्तों एवं विस्तृत जानकारी, किसी भी प्रकार की शंका समाधान के निराकरण हेतु हेतु इच्छुक निविदाकार दि. 30.05.2018 तक कार्यालयीन समय में इस कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

निविदाकार अपनी निविदा निर्धारित प्रारूप में 2 लिफाफो- तकनीकी आफर तथा वित्तीय आफर में प्रस्तुत करेंगे। निविदा के साथ 1000/- (एक हजार मात्र) की धरोहर राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा वाणिज्यिक बैंक की डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कलेक्टर हरदा के नाम संलग्न करना होगा। किराये पर अनुबंधित होने वाले वाहन हेतु निविदाकार को अपने स्वयं के स्वामित्व के वाहन का ही प्रस्ताव देना होगा। निविदाकार को निविदा के साथ पेन नंबर तथा प्रस्तावित किये गये वाहनों के टेक्सी परमिट एवं अन्य दस्तावेज तकनीकी लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे।

- 2.. जो भी निविदाकार/गाड़ी मालिक किराये के वाहन की निविदा प्राप्त करने में सफल होगा। उसके द्वारा निविदा शर्तों के उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त की जावेगी।
- 3.. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा किसी दिन वाहन अथवा वाहन चालक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कि जाकर सफल अनुबंधित निविदाकर्ता की धरोहर राशि वाहन किराये की उक्त राशि को समायोजित की जावेगी।
- 4.. वाहन की फिटनेस/मरम्मत-भुगतान आदि की समस्त जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।
- 5.. वाहन चालक को सफेद/खाकी वर्दी में रहना होगा एवं गाड़ी चलाते समय नशीले पदार्थ जैसे शराब, गांजा, भांग आदि का सेवन एवं मोबाइल पर बात नहीं करेगा।
- 6.. निविदाकर्ता अपने स्वामित्व के वाहन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा। निविदा के समय वाहन स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 7.. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्त अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की दशा में अन्य व्यक्ति अथवा फर्मों से स्वीकृत दर अनुसार वाहन किराये पर लगाये जावेंगे।
- 8.. वाहन चालक को वाहन पर लागबुक संधारित करना होगा। जिसमें आवंटित अधिकारी का प्रमाणीकरण कराया जावेगा।
- 9.. वाहन दि. 01.01.2014 के बाद का पंजीयन होना चाहिये तथा पंजीकृत ऐजेंसी पेन/दिन नंबर धारी होना चाहिये एवं स्वीकृत न्यूनतम दर से संबंधित फर्मों से शासन निर्देशानुसार भुगतान के दौरान कर की कटौती की जावेगी।

- 10.. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी कलेक्टर जिला हरदा का होगा एवं इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति में स्थानीय न्यायालय में ही वाद दायर की जावेगी।
- 11.. निविदाओं को आहूत करने का मूल उद्देश्य जिला कार्यालयों में शासकीय कार्यों से भ्रमण हेतु दरें निर्धारित करना है।
- 12.. निविदाकर्ता को दो प्रकार की निविदाएँ प्रस्तुत करने होंगी। प्रथम निविदा तकनीकी एवं दूसरी निविदा वित्तीय होगी। जब निविदाकार प्रथम तकनीकी निविदा में सफल योग्य अर्थात् सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेगा, तभी दूसरी निविदा (वित्तीय) खोली जावेगी। वित्तीय निविदा में दरें **Table-1** में प्रस्तुत करनी होंगी। उक्त दोनों निविदाओं के पृथक-पृथक लिफाफे बंद कर एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे।

तकनीकी लिफाफा	वित्तीय लिफाफा
1. धरोहर राशि 2. टेक्सी परमिट 3. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 4. पेन नंबर 5. फिटनेस सर्टिफिकेट 6. बीमा	वित्तीय लिफाफे में निर्धारित दर एवं निविदा फार्म (Table-1) में प्रस्तुत करनी होगी।

- 13.. वाहन अधिग्रहण के बाद वाहन में होने वाली टूट फूट/मरम्मत एवं अन्य समस्त जबाबदारी वाहन मालिक की होगी।
- 14.. टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक।
- पासपोर्ट।
 - स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) कार्ड।
 - निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD)
 - ड्रयविंग लाईसेंस।
 - फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
 - आधार कार्ड।
- 15.. निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न लिखित में से कोई एक दस्तावेज मान्य होंगे।
- अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाईल फोन बिल।
 - अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।
 - अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि-फिलिंग की रसीद।
 - अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।
 - किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।
 - स्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र।
 - बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
 - आधार कार्ड।
- 16.. निविदाकर्ताओं को प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर करने होंगे।


 संयुक्त कलेक्टर,
 जिला हरदा

पृ.क्र./ 5345 / नाजरात / 2018
प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 17/05/2018

1. अपर संचालक, (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त आशय का संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. आयुक्त नर्मदापुर संभाग होशंगाबाद, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला कार्यालय हरदा के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/तहसीलदार सर्व जिला हरदा के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
6. श्री राकेश पटेल जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित। संक्षिप्त समाचार पत्र कार्यालय कलेक्टर हरदा की वेबसाईट www.harada.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।


संयुक्त कलेक्टर,
जिला हरदा

कार्यालय कलेक्टर, जिला-हरदा, म.प्र.

निविदा फार्म

मूल्य रूपये 100-00 प्रति नग

(निविदा आमंत्रण सूचना के तहत निविदा फार्म का प्रारूप)

- 1 फर्म/एजेन्सी/वाहन मालिक का नाम.....
- 2 फर्म/एजेन्सी/वाहन मालिक का पूर्ण पता.....
- 3 फर्म/एजेन्सी/वाहन मालिक का पंजीयन क्रं.....
- 4 फर्म/एजेन्सी/वाहन मालिक का पैन नम्बर.....
-
- 5 दूरभाष/मोबाईल नं.

वाहन एवं वाहन चालक का विवरण :-

- 1 वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रं. एवं दिनांकवैधता अवधि.....
- 2 वाहन का बीमा का क्रं. एवं दिनांकवैधता अवधि.....
- 3 वाहन फिटनेस का क्रं. एवं दिनांकवैधता अवधि.....
- 4 वाहन टैक्सी परमिट का क्रं. एवं दिनांकवैधता अवधि.....
- 5 वाहन चालक का नाम.....पिता का नाम.....
- 6 निवास का पता.....तहसील.....जिला.....
- 7 वाहन चालक का मोबा. नं.
- 8 वाहन चालक का लायसेंस का नं.वैधता अवधि.....

घोषणा पत्र

मेरे द्वारा निविदा आमंत्रण पत्र एवं निविदा की निहित शर्तों का भली भांती अध्ययन कर लिया गया है तथा उसका अनुबंध पत्र तैयार कर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं । निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्ण सही/सत्य है किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी ।

दिनांक
समय

निविदाकर्ता/फर्म एजेन्सी के
संचालक के हस्ताक्षर

Table-1 Quotes for Vehicles to be Supplied on Per Day Hiring Basis: AC / Non AC

Sr.No	Vehicle Make /Type		With Driver / WITHOUT POL			
			Per day Rate for 12 Hrs duty and 500 kilometers	Extra Charges(Applicable in 12 hrs only)		
				Extra Km Charges above 500 kms	Extra Hrs Charges above 12 Hrs	Night Halt charges (per Night)
1	Ambasder	AC				
		NON-AC				
2	Toyota	AC				
		NON-AC				
3	Liva	AC				
		NON-AC				
4	Bolero	AC				
		NON-AC				
5	Sumo	AC				
		NON-AC				
6	Indigo	AC				
		NON-AC				
7	Xylo	AC				
		NON-AC				
8	Scorpio	AC				
		NON-AC				
9	Tavera	AC				
		NON-AC				
10	Tata Safari	AC				
		NON-AC				
11	Inova	AC				
		NON-AC				
12	Swift D zire	AC				
		NON-AC				